न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 20/2016/ जिला–नागौर (2016/00024)

1. रामलाल पुत्र छोटूराम
2. बिहारी लाल पुत्र छोटूराम
   समस्त जाति दर्जी निवासी बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. देवनारायण गोदपुत्र सुखराम
2. मोडूराम पुत्र सीताराम
   समस्त जाति दर्जी निवासी बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।
3. नारायणी पुत्री सीताराम पत्नी भंवरलाल
4. अणची पुत्री सीताराम पत्नी मूलचन्द
5. आचूकी पुत्री सीताराम पत्नी दुर्गाराम
6. गंगा पुत्री सीताराम पत्नी भंवरलाल
   समस्त जाति दर्जी निवासी आवलियासर जिला नागौर।
7. चन्दा देवी पुत्री सीताराम पत्नी रणजीत सिंह
8. छोटी देवी पुत्री सीताराम पत्नी गिरधारी
   दोनों जाति दर्जी निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
9. मोहनलाल पुत्र छोटूराम
10. गंगाराम पुत्र छोटूराम
11. गोपालराम पुत्र छोटूराम
    समस्त जाति दर्जी निवासी जाटावास बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर।
12. गणपतराम पुत्र छोटूराम
13. श्रीलाल पुत्र छोटूराम
    समस्त जाति दर्जी निवासी बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।
14. संतरी पुत्री छोटूराम पत्नी सोहनलाल जाति दर्जी निवासी मेड़तासिटी जिला नागौर।
15. भगवती पुत्री छोटूराम पत्नी कन्हैयालाल जाति दर्जी निवासी किशनगढ आजादनगर अजमेर।
16. आचूकी पुत्री छोटूराम पत्नी बाबूलाल जाति दर्जी निवासी गढिया गगराना मेड़तासिटी जिला नागौर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, परबतसर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 18–01–2016
प्रकरण संख्या 102/2014 बउनवान श्री देवनारायण बनाम
सीताराम व अन्य

———

उपस्थित– 1. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री विजय दिवाकर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः 21–3–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक अपील जिला कलक्टर, नागौर के न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 1755 दिनांक 24–1–2007 के विरूद्ध 1–8–2014 को प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 देवनारायण को सुखाराम ने दिनांक 24–9–1994 को गोद लिया था तथा उक्त नामान्तरकरण में सुखाराम की विरासत उनके भाईयों के नाम अंकित कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के न्यायालय में विभाजन के वाद में पारित डिक्री में 1/3 हिस्सा प्रत्येक का सुखराम, सीताराम व छोटूराम का था तथा डिक्री की पालना में विधिसम्मत अंकन अभिलेख में नहीं किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1755 की जानकारी 28–7–2014 को होना बताकर विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात जिला कलक्टर नागौर ने दोनों पक्षों को सुनकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 18–1–2016 से नामान्तरकरण संख्या 1755 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1755 स्वीकार करने हेतु सुखाराम के भाईयों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें सुखाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास दिनांक 4–9–2006 को होने का कथन किया गया कि सुखाराम कुंवारा फौत हो गया तथा उसके कोई वारिस नहीं होने से सीताराम तथा छोटूराम के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई जिस पर स्वयं देवनारायण के हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट हैकि तथाकथित गोदनामें के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जो फर्जी एवं बनावटी है तथा गोदपुत्र के रूप में देवनारायण कभी

सुखाराम के पास नहीं रहा, इसके बावजूद भी जिला कलक्टर नागौर ने गोदनामा के आधार पर जांच करने का आदेश पारित किया जो विधिविरूद्ध है। उक्त कार्यवाही नियमित वाद के जरिये ही की जा सकती है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने आर.आर.टी. 2003 प्रथम पेज 650 पर मुद्रित विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया हैः— Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 135- Mutation proceeding-Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or intrest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can not be settled in mutation proceeding and the parties have to approach the appropriate forum for adjudication of title. इस प्रकार जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण संख्या 1755 विधिक प्रक्रिया अपनाकर भू—अभिलेख नियमों के अनुसरण में कार्यवाही कर पारित किया गया इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात यदि कोई व्यक्ति नामान्तरकरण से असंतुष्ट है तो अनुतोष नियमित वाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु जिला कलक्टर नागौर ने प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। नामान्तरकरण संख्या 1755 पर स्वयं देवनारायण के पिता द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसरण में पारित किया गया जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी है तथा इसकी जानकारी सीताराम के पुत्र देवनारायण को भी थी उक्त अपील लगभग 7 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई अपील में विलम्ब किसी प्रकार से क्षमा किये जाने योग्य नहीं था।

उनका यह भी तर्क है रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय परबतसर के न्यायालय में दिनांक 12—8—2008 को मुकदमा संख्या 130/2007 में देवनारायण द्वारा जो बन्धपत्र जमानत बाबत प्रस्तुत किया उसमें उसने देवनारायण पुत्र सीताराम का अंकन स्वयं द्वारा किया गया। सिविल न्यायालय परबतसर में दिनांक 16—8—2012 को देवनारायण द्वारा दिये गये बयान में न्यायालय के समक्ष अपने पिता का नाम सीताराम दर्ज करवाया गया तथा प्रकरण संख्या 173/2009 में दिनांक 25—8—2015 को एसीजेएम परबतसर में दिये बयानों में भी अपने पिता का नाम सीताराम अंकित करवाया गया। वोटर लिस्ट में भी देवनारायण के पिता का नाम सीताराम अंकित है तथा सीताराम द्वारा भी न्यायालय के समक्ष देवनारायण को अपना पुत्र होना अंकित किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या द्वारा प्रस्तुत तथाकथित गोदनामा सन्देहास्पद दस्तावेज है जो किन परिस्थितियों में एवं किस कारण तैयार किया गया पूर्णतया अपराधिक मनोदशा का परिचायक है। तथाकथित गोदनामा की वैधता दीवानी न्यायालय में तय होनी है। माननीय वरिष्ठ सिविल जज परबतसर के न्यायालय में वाद संख्या 1/2015 रामलाल बनाम देवनारायण लम्बित है जिसके संबंध में न्यायालय जिला कलक्टर में स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था तथा इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिये गये इसके बावजूद भी नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित करते हुए दीवानी न्यायालय में लम्बित

वाद के निस्तारण उपरान्त राजस्व अभिलेखों में कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने आदेश 41 नियम 27 के तहत आधार कार्ड की मूल प्रति प्रस्तुत की है। इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 पाबन्द है तथा स्वयं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के विपरीत कोई कथन देवनारायण द्वारा नहीं दिया जा सकता है तथा स्वयं रेस्पोन्डेन्ट देवनारायण के आचरण से सिद्ध है कि वह सीताराम का ही पुत्र है। इस संबंध में निम्नांकित विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किये है ए.आई.आर. 1996 पंजाब व हरियाणा पेज 203 हैडनोट बी– Hindu Adoption and Maintenance Act (78 of 1956), S.16-Adoption-proof-Ceremmonies of giving and taking have to be proved- It has to be shown that after adoption adoptee was treated as his son by adopter- Mere placing of registered adoption deed is not sufficient. उक्त दृष्टांत से स्पष्ट है कि दिवानी न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय के पूर्व जिला कलक्टर नागौर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नमाान्तरकरण किये जाने बाबत जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–1–2016 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1755 दिनांक 24–1–2007 को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 263, 263/1, 263/2, 263/3 रकबा क्रमशः 12.15, 12, 12.4, 12.13 कुल रकबा 49.12 बीघा जमीन स्थित है। विवादग्रस्त आराजियात स्व0 लक्ष्मीनारायण की खातेदारी की है। लक्ष्मीनारायण के देहान्त के बाद उक्त जमीन में फौतगी का नामान्तरकरण लक्ष्मीनारायण के चार पुत्र सीताराम, छोटूराम, पूर्णमल, सुखाराम के नाम दर्ज किय ागया जिनमें पूर्णमल व सुखाराम अविवाहित थे तथा सन् 1982 में पूर्णमल नाऔलाद फौत हो गया उनका फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 705 दिनांक 7–10–82 उनके भाई सुखाराम, छोटूराम तथा सीताराम के नाम दर्ज किया गया। छोटूराम के देहान्त के बाद फौतगी का नामान्तरकरण अपीलांट रामलाल, बिहारी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 16 के नाम भरा गया। अपीलांट रामलाल बिहारीलाल व उनके भाई मोहनराम, गंगाराम, गोपाल, गणपत, श्रीलाल ने उपखण्ड अधिकारी परबतसर के न्यायालय में एक वाद घोषणा दुरूस्ती रेकार्ड बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो वाद संख्या 13/94 पर दर्ज किया गया जिसका निर्णय दिनांक 30–7–98 को प्राथमिक डिक्री जारी करके 1/3 हिस्सा सुखाराम का घोषित किया गया। उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन नहीं किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 देवनारायण को बचपन में ही 13 वर्ष की आयु में सुखाराम ने गोद लिया था और लालन–पालन कर बड़ा

कर विवाह किया तथा दिनांक 24–9–1994 को मौतबिरान के समक्ष एक रजिस्टर्ड गोदनामा सुखाराम ने देवनारायण के पक्ष मे पंजीयन कराया तथा गोद की सारी रस्मे पूरी कर उक्त गोदनामें की फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत व एक प्रति पटवारी हलका को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 देवनारायण के नाम नामान्तरकरण भरे हेतु दी। सुखाराम का देहान्त 4–9–2006 को हो गया था उसके बाद दिनांक 24–1–2007 को नामान्तरकरण संख्या 1755 सुखाराम के स्थान पर सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण तथा अपीलांट व उसके भाईयों के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण नायब तहसीलदार परबतसर द्वारा सुखाराम के फौत होने पर वारिसान द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। जिस आवेदन के आधार पर नामान्तरकरण 1755 स्वीकार किया गया है उससे संबंधित कोई रेकार्ड तारीख लगा हुआ ग्राम पंचायत में नहीं है तथा ऐसा कोई प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण बाबत नहीं लिया गया। इसे अलावा रेस्पोन्डेन्ट देवनारायण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। जबकि सुखाराम का फौतगी का नामान्तरकरण देवनारायण के नाम भरा जाना था। तत्पश्चात सुखाराम के भाई सीताराम की दिनांक 25–4–2014 को मुत्यु हो गई थी उनकी मृत्यु के पश्चात सीताराम के पुत्र मोडूराम के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया तो पता चला कि सुखाराम का नामान्तरकरण देवनारायण के नाम नहीं भरा है जिसकी जानकारी होते ही उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील की गई जिसे तहसीलदार, परबतसर को रिमाण्ड कर सुखाराम के कानूनी वारिसान/गोदनामें के बिन्दु पर जांच कर न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि उक्त नामान्तरकरण बाबत आवेदन का धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार वार्षिक रजिस्टर में कोई इन्द्राज नहीं है। उक्त नामान्तरकरण गोदनामा को दरकिनार कर भरा गया है। भू–राजस्व अधीनियम 1956 की धारा 135(1) के अन्तर्गत पंचायतों को प्रदत्त की गई शक्तियों के संबंध में यह प्रश्न सामने आते है कि क्या तहसीलदार को ऐसी शक्तियां प्रयोग में लाने का हक है जो नहीं है। परन्तु उक्त प्रकरण में आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होता है और नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाता है इसलिए उक्त नामान्तरकरण क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर भरा गया है। अपीलांट रामलाल ने देवनारायण के विरूद्ध गोद निरस्ती का दावा पेश किया था जिसमें दिनांक 7–10–2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया और जिसमें माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया कि हिन्दू विधि की धारा 15 के अनुसार कोई भी दत्तक जो विधि मान्य किया गया है दत्तक माता या पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। इसलिए रामलाल के द्वारा सिविल न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के आदेश के विरूद्ध ए.डी.जे. कोर्ट परबतसर में अपील की थी जिसमें अन्तरिक निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 26–10–2015 खारिज किया गया जिसमें प्रतिपादित किया गया कि धारा 16 हिन्दू दत्तक अधिनियम में उपधारणा किये जाने का

प्रावधान है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा की गई अपील निराधार एवं आधारहीन है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार को बिना कोई आवेदन किये नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था। नामान्तरकरण संबंधी कोई जांच नहीं की गई इसलिए आवेदन ग्राम पंचायत को करना बताया गया है तथा नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र पर किया जाना बताया है जो सन्देहास्पद है और जिसका इन्द्राज किसी भी रजिस्टर में नहीं है तथा देवनारायण के नाम रजिस्टर्ड गोदनामा है जिसके संबंध में हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 16 में दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का कानून है इस कानून के अनुसार ऐसा दत्तक अधिनियम उपबन्धों के अनुपालन में किया गया है। इसलिए अपीलांट को उक्त गोदनामा को फर्जी एवं बनावटी कहने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से बिना किसी जांच के नामान्तरकरण संख्या 1755 पारित किया है जो विधिविरूद्ध है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जावे एवं जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–2–2016 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं मौखिक बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर में दर्ज वाद संख्या 13/94 घोषणा दुरूस्ती रेकार्ड व बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय दिनांक 30–7–98 को प्राथमिक डिक्री जारी करके श्री लक्ष्मीनारायण की मृत्यु पश्चात उनकी खातेदारी की आराजियात का अपने चारो पुत्रों में 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया गया परन्तु उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन नहीं किया गया। श्री सुखाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा एक गोदनामा देवनारायण के पक्ष में दिनांक 24–9–94 को निष्पादित गया जो उपपंजीयक परबतसर द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है जिस पर सुखाराम व दो गवाह सुखाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बिदियाद एवं श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति नाई निवासी बिदियाद के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त गोदनामें की प्रति रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पंचायत में देने के बावजूद सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत गोदनामें के विरूद्ध गोदनामा निरस्त कराने हेतु दावा पेश किये जाने का उल्लेख किया है जो न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है रजिस्टर्ड गोदनामें की वैधता/अवैधता की जांच करने व निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। नायब तहसीलदार, परबतसर द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच किये बिना एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के द्वारा दिनांक 30–7–98 को प्रत्येक के पक्ष में 1/3–1/3 हिस्सा घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई लेकिन तहसीलदार परबतसर व पटवारी हलका ने उक्त डिक्री की वर्ष 2007 तक पालना नहीं की गई

है जबकि सुखाराम के देहान्त के 13 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड गोदपुत्र होने की पटवारी हलका व पूरे गांव को जानकारी होने के बावजूद भी पटवारी हलका द्वारा दिनांक 24–1–2007 को नामान्तरकरण भरकर प्रस्तावित कर दिया व उसी दिन भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट की तथा रेस्पोन्डेन्ट को सुने बिना ही सुखाराम का गोदपुत्र होते हुए भी बिना किसी आधार के सीताराम व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम 1/2–1/2 हिस्से का नामान्तरकरण पारित कर दिया जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 जो कि सुखराम का रजिस्टर्ड गोदपुत्र होते हुए भी विवादग्रस्त आराजियात से नाम हटाते हुए उसकी जगह अन्य रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 देवनारायण को भी सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–1–2016 में विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में सुखाराम के कानूनी वारिसान/गोदनामें के बिन्दु पर जांच कर प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण रिमाण्ड किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–01–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 102/2014 बउनवान श्री देवनारायण बनाम सीताराम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर